केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/P/20/00054
CICOM/R/P/20/00190

अपीलकर्ता : श्री कन्हैया लाल मित्तल
खसरा नं. 522 लाल डोरा एक्सटेंशन
बी-182 अलीपुर, दिल्ली - 110036.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.03.2020
आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में आवेदन के प्राप्त होने की तिथि	17.03.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	14.05.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	गैरदिनांकित
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	22.07.2020
निर्णय की तारीख	03.08.2020

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 13.03.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचना मांगी गई थी:-

1. निवेदन है कि प्राथी ने एक पत्र आपके कार्यालय में दिनांक 11.11.2016 को दिया था जिसमें कुल 11 पेज थे जिस पर आपने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया जिसकी फोटो प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ ।

2. इस पत्र में दिनांक 18.07.2017 का आदेश, दिनांक 02.03.2009 का आदेश, दिनांक 26.09.2013 का आदेश व दिनांक 10.06.2014 का आदेश संलग्न है और उपरोक्त आदेशों पर महकमा राजस्व के अधिकांरी S.D.M. व D.M. ने कोई उचित निर्णय न देकर और मेरे सभी जजमेन्टों को दरकिनार करके ऐसा लगता है कि घूस लेकर महकमा राजस्व मेरे खिलाफ जजमेन्ट कर रहें है ।

   अत: श्रीमान C.I.C. कमीश्नर साहब जी से प्रार्थना है करता हूँ कि मेरी दिनांक 10.11.2016 के पत्र पर आर.टी.आई. ऐक्ट 2005 के तहत उपरोक्त आदेशों पर महकता राजस्व S.D.M. व D.M. पर आर.टी.आई. ऐक्ट के तहत उचित कार्रवाई करने की कृपा करें और मुझे जवाब देने की कृपा करें ।

प्रदान की गई सूचना

2. श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 14.05.2020 को प्रेषित की गई सूचना निम्नानुसार है:-

1. Only a statement, no information is called.
2. Making any request is not covered under RTI Act. Only available information can be provided under RTI Act.

Received on O/c 04/08/20

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
04 AUG 2020
D. No.........
Initials.........

प्रथम अपील का आधार

3. प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि - "श्री आर. पी. ग्रोवर ने जो जवाब भेजा है, प्राथी इस जवाब से संतुष्ट नहीं है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आर. पी. ग्रोवर को हिंदी परिभाषित करने की क्षमता नहीं है और उन्होंने पैरा नं. 2 का पूरा जिक्र नहीं किया है और मैंने दिनांक 10.11.2016 के पत्र में C.I.C. के भिन्न भिन्न आदेशों का जिक्र किया था, उन आदेशों पर आज तक क्या हुआ, इसका कोई जिक्र नहीं है" ।

अपीलकर्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि "पैरा नं. 2 के संबंध में मेरा यह कहना है कि दिनांक 10.11.2016 को जो पत्र दिया था, उस पर आज तक क्या कार्रवाई की वह बताया जाए और CIC ने दिनांक 18.07.2016, 02.03.2019, 26.09.2013 व 10.06.2014 को CIC द्वारा आदेश भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट को किए गए थे उपन भिन्न डिपार्टमेंट ने आज तक क्या कार्रवाई की इसकी सूचना मुझे आर.टी.आई. की प्रथम अपील सेक्सन 19/1 के तहत दिलवाने की कृपा करें" ।

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने दिनांक 13.03.2020 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन हिंदी भाषा में दाखिल किया था, परन्तु श्री आर. पी. ग्रोवर द्वारा उन्हें अंग्रेजी भाषा में सूचना प्रदान की गई है, जिसका उल्लेख अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में भी किया है । हालांकि केन्द्रीय सूचना अधिकारी, श्री आर. पी. ग्रोवर द्वारा प्रदान की गई सूचना आर.टी.आई. आवेदन में मांगी गई सूचना के अनुसार ही है ।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख : 3 अगस्त, 2020

मीना शर्मा 03/08/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC –YS), के